प्रेस विज्ञप्ति बिजनौर पुलिस दिनांकः– 13.07.2021

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड, 10 बने–अधबने अवैध शस्त्र तथा शस्त्र बनाने के उपकरण सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

मु0अ0सं0– **471**/2021 **धारा– 5/25** शस्त्र अधिनियम **बनाम–** रियाज 03 नफर

दिंनाक घटना– 13.07.2021 **घटनास्थल–** जंगल ग्राम जहानाबाद

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनॉक 09.05.2021 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धौकलपुर में डबल मर्डर की घटना को अंजाम देने वले अभियुक्तगण 1–विवेक 2–कृष्णा 3–आकाश द्वारा प्रयोग किये गये तमंचो के सम्बन्ध में अभियुक्तगण से की गयी पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये थे कि उनके द्वारा घटना में प्रयोग किये गये तमंचे थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जहानाबाद के खण्डहर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करने वाले रियाज, राकेश व उस्मान से खरीदे थे। तभी से लेकर आज तक अभियुक्तगण रियाज, राकेश व उस्मान की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

अभियुक्तगण उपरोक्त की सूचना पर कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनॉक 13.07.2021 को चांदपुर रोड जंगल ग्राम जहानाबाद के खण्डहर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते हुए 03 व्यक्ति 1–रियाज 2–राकेश 3–उस्मान को भारी मात्रा में बने–अधबने शस्त्र 04 अदद तमंचे 12 बोर, 02 अदद तमंचे 315 बोर, 02 देशी रिवाल्वर 32 बोर, 01 अधबना तमंचा 315 बोर व 01 अधबना तमंचा 12 बोर एवं शस्त्र बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध मे थाना को0शहर पर मु0अ0सं0 471/21 धारा 5/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया कि हम काफी समय से अवैध शस्त्रों का निर्माण कर उसका विक्रय करने का काम रहे है। हम भारी मात्रा मे अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहे थे। अवैध शस्त्र तैयार कर हम रायफल को 30,000 रूपये, बन्दूक 20,000 रूपये तथा तमन्चे को 5,000–10,000 रूपये प्रति के हिसाब से बेच देते है और उससे मिले पैसों से अपने परिवार का भरन पोषण करने के साथ साथ–साथ अपने शौक पूरे करते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1–रियाज पुत्र काले खॉ निवासी भोगनवाला थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर।
2–राकेश पुत्र रमेश निवासी ग्राम झलरा थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर।
3–उस्मान पुत्र छोटे निवासी ग्राम झलरा थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण

1–02 देशी रिवाल्वर 32 बोर
2–02 तमन्चा 315 बोर
3–04 तमन्चा 12 बोर
4–02 अधबने तमन्चे
5– शस्त्र बनाने के उपकरण

आपराधिक इतिहास अभि0 फरमान उपरोक्तः–

मु0अ0सं0 471/21 धारा 5/25 शस्त्र अधि0 बनाम रियाज, राकेश व उस्मान

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः–

1–श्री राधेश्याम शर्मा प्रभारी निरीक्षक को0शहर, 2–उ0नि0 श्री अमित कुमार 3–उ0नि0 श्री दीपक कुमार 4–उ0नि0 श्री अभिलाष प्रधान 5–मुख्य आरक्षी 209 नीरज कुमार 6–कां0 69 अरविन्द कुमार 7–कां0 510 दिनेश राणा थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

थाना मण्डावली :– आज दिनांक 13.07.2021 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा अभियुक्त नरदेव पुत्र आत्माराम निवासी ग्राम श्यामीवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 127/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना मण्डावली:– आज दिनांक 13.07.2021 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान जिला बदर अभियुक्त दानिश पुत्र कयूम निवासी ग्राम दिनौडा थाना नांगल जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 126/21 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना मण्डावली:– दिनांक 12.07.2021 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण 1– रोहित पुत्र टेकचंद निवासी ग्राम टांडा थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 123/21 धारा 3/25 ए एक्ट 2– शीशपाल पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम टांडा थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को 02 अदद कारतूस जिंदा 315 बोर सहित गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 124/21 धारा 25 आर्म्स एक्ट 3– जितेन्द्र पुत्र राजपाल निवासी ग्राम सीकरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को 01 चाकू नाजायज के साथ गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 125/21 धारा 4/25 ए एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना नहटौरः– आज दिनांक 13.07.2021 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा अभियुक्त जागेश पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम नेनहेडा थाना नहटौर जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 187/21 धारा 379/411 भादवि मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना धामपुरः– आज दिनांक 13.07.2021 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त हरिओम पुत्र राम मोहन निवासी लाईन पार कस्बा/थाना मझौला जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 299/21 धारा 4/25 ए एक्ट मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।